

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2803 का उत्तर

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विद्युतीकृत रेल नेटवर्क

2803. श्रीमती प्रतिमा भौमिक:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के लिए किलोमीटर में लम्बाई और इसके साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में मौजूदा नेटवर्क के विद्युतीकरण का कोई लक्ष्य तय किया है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य और वर्ष वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की योजना इन 7 राज्यों में मौजूदा विद्युतीकृत पटरियों पर विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाने की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और
- (च) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को श्रीमती प्रतिमा भौमिक के अतारांकित प्रश्न सं. 2803 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): 01.04.2019 को 189 नई लाइनें, 55 आमाम परिवर्तन और 247 दोहरीकरण परियोजनाओं सहित कुल 491 रेलवे परियोजनाएं निष्पादन/योजना/अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। 6.48 लाख करोड़ रु. की लागत वाली इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 48,861 किमी है। मार्च, 2019 तक इन परियोजनाओं पर कुल 1.43 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया और 9113 कि.मी. लंबाई पर यातायात चालू किया गया है।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र: 01.04.2019 को असम और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 14 नई लाइन और 6 दोहरीकरण परियोजनाओं सहित 20 रेल परियोजनाएं नियोजन/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल लम्बाई 1,783 किमी और लागत 68,401 करोड़ रु. है। मार्च 2019 तक इन परियोजनाओं पर 17,685 करोड़ रु. का कुल खर्च किया गया जो 353 किमी. लाइनों को यातायात के लिए खोला गया। अंतरिम बजट 2019-20 में इन परियोजनाओं के लिए 3,553 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

गत तीन वर्ष अर्थात् 2016-17 से 2018-19 में सरकार से अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट में शामिल नई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	लम्बाई (किमी में)	स्वीकृति का वर्ष	नवीनतम प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	2019-20 के लिए अंतरिम बजट परिव्यय (करोड़ रु. में)
	नई लाइन					
1	सलोना-खुमताई	असम	99	2017-18	5958	0.10
2	सिबसागर-जोरहाट	असम	62	2017-18	1296	0.10
3	तेजपुर-सिलघाट	असम	25	2017-18	3439	0.10
	दोहरीकरण					
1	सरायघाट ब्रिज	असम	7	2017-18	1127	0.10
2	कामाख्या-न्यू गुवाहाटी चौहरी लाइन बिछाना	असम	10	2017-18	3062	0.10

विद्युतीकरण: रेल मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम सहित भारतीय रेल के शेष बड़ी लाइन मार्गों को 2021-22 तक विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ): इस समय, इन 7 राज्यों को जोड़ने वाला कोई रेल मार्ग विद्युतीकृत नहीं है।

(ड) और (च): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तें आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं (जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है)।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से पहले भी पूरी हो जाती हैं, रेलवे ने निविदा में बोनस क्लॉज के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

जब तक राज्य सरकार द्वारा रेलों को बाधामुक्त समूची भूमि नहीं सौंपी जाती, इस स्थिति में परियोजना (ओं) को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
